न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
05/2021	धारा 212 RTA	19.01.2021	03.09.2021

राम अवतार पुत्र श्री शिशपाल जांगिड़ जाति जांगिड़ आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम दान्दू तहसील व जिला चूरू (राज)

–प्रार्थी–

बनाम

1. शिशपाल पुत्र श्री सोहनलाल जाति जांगिड़ आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम दान्दू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. मनजीत कंवर पत्नी श्री रायसिंह जाति राजपूत आयु आयु 40 वर्ष निवासिनी ग्राम दान्दू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. पूजा कुमारी पुत्री श्री किशोर सिंह जाति राजपूत आयु 26 वर्ष ग्राम दान्दू तहसील जिला चूरू (राज.)
4. किशन कुमार पुत्र श्री शिशपाल जाति जांगिड़ आयु 26 वर्ष निवासी ग्राम दान्दू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. तहसीलदार महोदय वास्ते राजस्थान राज्य कलेक्ट्रेट परिसर, चूरू (राज.)

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :
1. अधिवक्ता श्री अभिषेक टावरी प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री दिलीप पोद्दार अप्रार्थी सं. 1
3. अधिवक्ता श्री ताहिर खान अप्रार्थी सं. 2 व 3
4. अधिवक्ता श्री प्रीतमसिंह अप्रार्थी सं. 4

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि उक्त अनुवानी वाद पत्र प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष ठोस एवं सुदृढ़ तथ्यों पर प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थी की पुश्तैनी व पैतृक कृषि भूमि ग्राम दान्दू तहसील व जिला चूरू में अवस्थित चली आ रही है। इस कृषि भमि के पूर्व खसरा संख्या 31 मीन रकबा 14 बीघा रहे है तथा यह कृषि भूमि प्रार्थी के पूर्वज सोहन पुत्र श्री टोडा जाति जाँगिड़ के नाम से खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। इस कृषि भूमि के तदुपरान्त खसरा संख्या 37 रकबा 14 बीघा कायम हुए। प्रार्थी का वंश... पुत्र टोडा के वारिसान में सोहनी पत्नी (फौत), श्यामलाल पुत्र, हनुमानाराम पुत्र, ...पा... पुत्र, पार्वती पुत्री, सजना पुत्री, संतोष पुत्री, भगवती पुत्री व विमला पुत्री ... की स्वर्गवास हो चुका है एवं शेष वारिसान मौजूद हैं। सो... वारिसान में रामोतार ...), विनोद व किशन हैं जिनमें राम अवतार प्रार्थी है एवं किशन... अप्रार्थी सं. 4 है। प्रार्थी ... पूर्वज सोहन पुत्र टोडा का देहावसान हो जाने पर यह कृषि भूमि सोहन के वारिसान यानि सोहन की पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

सोहनी तथा पुत्र व पुत्रियों के नाम दर्ज हुई जिस बाबत राजस्व रिकोर्ड मे विरासतन इन्तकाल संख्या 35 दिनांक 10.10.1984 दर्ज किया गया। विरासतन इन्तकाल की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 37 तादादी 14 बीघा ग्राम दान्दू तहसील व जिला चूरू, सोहन के समस्त विधिक वारिसान के नाम दर्ज हो जाने के उपरान्त सोहन की पत्नी श्रीमती सोहनी का निधन हो जाने पर वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में से उनका नाम हटाया जाकर उनका हिस्सा पूर्व से मौजूद व इस कृषि भूमि के संयुक्त खातेदारान व सोहनी के विधिक वारिसान को प्राप्त हुआ जिस बाबत नामान्तकरणं संख्या 450 दिनांक 15.06.21 राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज कर दिया गया। तत्पश्चात् सोहन की समस्त पुत्रियों तथा वादगत कृषि भूमि की संयुक्त खातेदारान द्वारा वादगत कृषि भूमि में अपने बनने वाले हिस्से का हक त्याग अपने तीनों भाई श्यामलाल, हनुमानाराम व शिशपाल के पक्ष मे पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 07.02.2013 के जरिये कर दिया गया। जिस पर सोहन की समस्त पुत्रियों का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर वादगत कृषि भूमि सोहन के तीनों पुत्रों श्यामलाल, हनुमानाराम व शिशपाल के नाम दर्ज कर दी गई। इस संबंध में नामान्तकरण संख्या 485 दिनांक 09.02.2013 का अंकन राजस्व रिकार्ड में कर दिया गया। सोहन के तीनों पुत्रों व वादगत कृषि भूमि के संयुक्त खातेदारान शीशपाल, हनुमानाराम व श्यामलाल द्वारा आपस में इस कृषि भूमि का विभाजन कर लिया गया जिस पर नामान्तरकरण संख्या 496 दिनांक 04.02.2013 स्वीकृत किया गया जिस अनुसार प्रार्थी के पिता शिशपाल का वादगत कृषि भूमि में से कुल 4 बीघा 14 बिश्वा कृषि भूमि प्राप्त हुई जिसके अलग खसरा संख्या 505/37 मीन क़ायम किये गये। इस प्रकार खसरा संख्या 505/37 रोही दान्दू की कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 4 की पुश्तैनी व पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 4 का भी पुश्तैनी कृषि भूमि होने से अप्रार्थी सं. 1 के साथ बराबर हक हिस्सा से लगभग 1 बीघा 11 बिश्वा बनता है। यह कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 1 शिशपाल अकेले के नाम दर्ज चला आ रहा है जिसका गलत फायदा उठाकर अप्रार्थी सं. 1 को मुगालते में रखते हुए अन्य व्यक्तियों अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने स्वयं के पक्ष में शिशपाल के बनने वाले हिस्से से अधिक भूमि का दिनांक 06.01.2021 को विक्रय पत्र करवा लिया जो विक्रय पत्र प्रार्थी के हक हिस्से व हितों के विपरीत होने से कोई अहमियत नहीं रखता है तथा प्रारम्भ से ही शून्य घोषित किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से 3 को दिनांक 15.01.2021 को उक्त करवाये गये विक्रय पत्र को निरस्त करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण इन्कार हो गये एवं जबरन कब्जा करने एवं आगे अन्तरित कर प्रकरण में पेचीदगियां उत्पन्न करने की धमकी देने लगे। इसलिए अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से प्रार्थी को अपने हितों की रक्षार्थ यह प्रार्थना पत्र व दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। वादगत कृषि भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि होने से इसमें प्रार्थी का जन्म से ही अप्रार्थी सं. 1 व 4 के साथ बराबर बराबर 1/3 हिस्सा बनता है जिस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बखूबी प्रमाणित है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा गलत रूप से वादगत कृषि भूमि में हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 व 3 को विक्रय कर दिया गया है जिसे अप्रार्थीगण आगे अन्तरित करने व सम्पूर्ण कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू हैं। यदि अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी के हक व हिस्से [illegible] देने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी [illegible] पक्ष में प्रमाणित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible] से वर्जित किया जावे कि वे मूल वाद के लम्बित रहते वादगत कृषि भूमि [illegible]/37 तादादी 1.1888 हैक्टेयर रोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:19 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

दान्दू को किसी भी रूप में किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित न करें, ना ही प्रार्थी के कब्जे में कोई दखलन्दाजी करें, ना ही ऐसा कोई कृत्य करें जिससे कि प्रार्थी के वैध हितों पर विपरीत असर पड़ता हो तथा वादगत कृषि भूमि के मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री दिलीप पोद्दार एडवोकेट, 2 व 3 की ओर से श्री ताहिर खान एडवोकेट एवं 4 की ओर से श्री प्रीतमसिंह एडवोकेट उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा।

अप्रार्थी सं. 4 की ओर से उनके अधिवक्ता ने अंकित किया कि जवाब पेश नहीं करना चाहता जिस पर अप्रार्थी सं. 4 का जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने वंश वृक्ष सही नहीं दर्शाया है, इसमें माता का कहीं कोई हिस्सा नहीं लिखा है। प्रार्थना पत्र में हक त्याग से पूर्व शिशपाल का कितना हिस्सा था, कहीं नहीं लिखा है। पैतृक सम्पत्ति में शिशपाल का कुल 14 बीघा जमीन में 1/9 हिस्सा ही है। बाकी जमीन जो शिशपाल को प्राप्त हुई है वह जरिये हक–त्याग के प्राप्त हुई है, ना कि विरासतन हिस्से में आई है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 की पुश्तैनी जमीन में से अपने हिस्से की मांग की गई है जिसमें अप्रार्थी सं. 1 का 1/8 हिस्सा बनता है जिसमें से 1/4 हिस्सा यानि 8.5 विश्वा जमीन प्रार्थी के हिस्से में आती है। अप्रार्थी सं. 1 को 14 बीघा भूमि में से यह 1.1888 हैक्टेयर जमीन हक त्याग व विभाजन के पश्चात् प्राप्त हुई है जिसमें से कुछ जमीन जरिये विक्रय पत्र उसने अप्रार्थी सं. 2 व 3 को विक्रय की है। अप्रार्थी सं. 1 को उक्त जमीन अपना कर्जा जो के.सी.सी. के रूप में बैंक से लिया गया था व अन्य उधार को चुकाने के लिये विक्रय करनी पड़ी है। प्रार्थी को यह भी मालूम नहीं है कि उसका कितना हिस्सा होना चाहिए ? इसलिए झूठे एवं आधारहीन तथ्यों को आधार बनाकर अपने बूढे पिता अप्रार्थी सं. 1 को परेशान करने की नीयत से पेश किया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भारी खर्चे से खारिज फरमावें।

अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से पेश जवाब में वही तथ्य अंकित किये जो अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब में अंकित किये हैं जो संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 व 3 पर गलत तोहमत लगाते हुए गलत तथ्य अंकित किये हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 की पुश्तैनी जमीन में से अपने हिस्से की मांग की गई है जिसमें अप्रार्थी सं. 1 का 1/8 हिस्सा बनता है जिसमें से 1/4 हिस्सा जमीन प्रार्थी के हिस्से में आती है। यह पुश्तैनी भूमि विभाजित होने पर ख.नं. 505/37 तादादी 1.1888 हैक्टेयर हुई है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी हक त्याग के जरिये प्राप्त जमीन में से कुछ जमीन जरिये विक्रय पत्र अप्रार्थी सं. 2 व 3 को विक्रय की है जो काननून सही है व विधिवत रूप से विक्रय की है। अप्रार्थी सं. 1 अपना कर्जा चुकाने के लिए यह जमीन विक्रय करनी पड़ी है। प्रार्थी को यही मालूम नहीं है कि उसका कितना हिस्सा होना चहिए। इस भूमि में अप्रार्थी सं. 1 का 1/8 हिस्सा है, इस हिसाब से 1/8 हिस्से में से 1/4 हिस्सा प्रार्थी के हिस्से में आता है, न कि कुल जमीन में 1/3 हिस्सा। इसलिए झूठे एवं आधारहीन तथ्यों को आधार बनाकर अपने बूढे पिता. अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 2 व 3 घोर मानसिक परेशान करने की नीयत से पेश किया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भारी खर्चे से खारिज फरमावें।

प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव [illegible] कथन किया [illegible]गत कृषि भूमि पैतृक दादालाई सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा जन्म से ही बनता है। रा[illegible] रिक[illegible] में उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज होने का नाज[illegible] [illegible] अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय अप्रार्थी सं. 2 व 3 को क[illegible] पर कब्जा भी दे दिया जबकि वादगत कृषि भूमि पैतृक व अविभाजित है। अप्रार्थीगण अपने जवाब [illegible]रा सं. 9 में उक्त वादगत कृषि भूमि में प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:19 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

का हिस्सा होना स्वीकार कर रहे हैं। चूंकि उक्त कृषि भूमि विवादित है एवं हिस्सा अभी तय नहीं हुआ है क्योंकि हिस्सा तो दावा में तय होना है। वर्तमान में अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि को आगे अन्तरित करने पर आमादा हैं जिससे वाद बहुलता बढ़ेगी। इसलिए प्रार्थी के हितों की रक्षार्थ अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से ता फैसला दावा वर्जित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस कथनों के समर्थन में नजीर 2020 DNJ (Rev.) Rajasthan page 272 भी पेश की।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब कथनों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी ने यह दावा व प्रार्थना पत्र गलत आधारों व गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। वादगत कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/36 हिस्सा बनता है जबकि प्रार्थी 1/3 हिस्सा की मांग कर रहा है। वादगत कृषि भूमि अब पैतृक नहीं रही है। वादगत कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में उसकी बहिनों द्वारा अपना हिस्सा हक त्याग करने से प्राप्त हुई जमीन भी शामिल है। प्रार्थी उक्त परित्याग की हुई जमीन से हिस्सा मांगना चाह रहे हैं जो कानूनन नहीं मिल सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने जवाब कथनों को दोहराते हुए जाहिर किया कि हमने वादगत कृषि भूमि में से कुछ भूमि विधिवत रूप से प्रतिफल अदा करते हुए खातेदार अप्रार्थी सं. 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है तथा मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया है। प्रार्थी को विक्रय पत्र निरस्त करवाने का दावा सक्षम न्यायालय में पेश करना चाहिए था। अप्रार्थी सं. 2 व 3 के विरूद्ध प्रार्थी किसी भी तरह का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षके अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात् का ध्यान से अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वादगत कृषि भूमि को पुश्तैनी बताते हुए उक्त कृषि भूमि में अपना जन्म से हक हिस्सा होना जाहिर किया है तथा प्रश्नगत कृषि भूमि के वर्तमान खातेदार अप्रार्थी सं. 1, जो प्रार्थी का पिता है, द्वारा अपने हक हिस्से से अधिक भूमि का अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष में करवाये गये विक्रय पत्र दिनांक 06.01.2021 को प्रारम्भतः शून्य घोषित किये जाने योग्य अंकित किया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के जरिये अप्रार्थीगण को मूल वाद के लम्बित रहते वादगत कृषि भूमि ख.नं. 505/37 तादादी 1.1888 हैक्टेयर रोही ग्राम दान्दू को किसी भी रूप में किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं करने एवं प्रार्थी के कब्जे में कोई दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द करवाने का अनुतोष चाहा है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी सं. 1 का मुख्य रूप से यह कहना है कि उक्त वादगत कृषि भूमि पूरी की पूरी पैतृक नहीं है। यह भूमि अप्रार्थी को हक त्याग के जरिये प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं है तथा अप्रार्थी ने हक त्याग से प्राप्त भूमि का ही विक्रय अपना बैंक ऋण चुकता करने के लिए अप्रार्थी सं. 2 व 3 को किया है। प्रार्थी को यह पता नहीं है कि उसके हिस्सा कितना है ? ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी सं. 2 व 3 का कहना है कि वादगत सम्पूर्ण कृषि भूमि पैतृक नहीं है क्योंकि अप्रार्थी सं. 1 को इस कृषि भूमि में कुछ भूमि हक त्याग से प्राप्त हुई है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने वादगत कृषि भूमि में से कुछ भूमि जरिये विक्रय पत्र कानूनी सही एवं विधिवत रूप से क्रय की है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपना बैंक कर्ज चुकाने के लिए यह कृषि भूमि विक्रय की है। प्रार्थी [illegible] किया है। इसलिए झूठे व आधारहीन तथ्यों को आधार बनाकर अप्रार्थी सं. 1 से 3 को [illegible]रने की नीयत से पेश किया गया प्रार्थना भारी खर्चे से खारिज फरमाया [illegible] सम्वत् 2010, 2014, 2015 पूर्व ख.नं. 165/31 तादादी 14 [illegible], 2048, 2052 ख.नं. 37 तादादी 14 बीघा रोही ग्राम दान्दू के अवलोकन से यह जाहिर है कि यह कृषि भूमि तत्समय सोहन पुत्र टोडा के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की रही है। ग्राम दान्दू के नामान्तकरण सं. 35 दिनांक 18.11.84 के अनुसार यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

भूमि सोहन पुत्र टोडा का स्वर्गवास हो जाने पर उसके वारिसान पत्नी सोहनी, श्यामलाल, हनुमानाराम, शिशपाल पुत्रगण व पार्वती, सजना, सन्तोष, भगवती, विमला पुत्रियों के नाम दर्ज हुई। सोहनी का स्वर्गवास होने पर नामान्तरकरण सं. 450 दिनांक 20.06.2012 के द्वारा यह भूमि श्यामलाल, हनुमानाराम, शिशपाल पुत्रगण व पार्वती, सजना, सन्तोष, भगवती, विमला पुत्रियों के नाम दर्ज हुई। वर्तमान वादगत कृषि भूमि ख.नं. 505/37 के पूर्व ख.नं. 37 तादादी 14 बीघा में सोहन की पुत्रियों द्वारा अपने भाईयों के पक्ष में दिनांक 07.02.13 को अपना हिस्सा हक त्याग करवाने पर नामान्तरकरण सं. 485 दिनांक 09.02.13 के जरिये यह भूमि श्यामलाल, हनुमानाराम, शिशपाल पि. सोहन के नाम ब.हि.ब. खातेदारी में दर्ज हुई है। ख.नं. 37 तादादी 14 बीघा कृषि भूमि के तत्समय के खातेदार श्यामलाल, हनुमानाराम, शिशपाल पि. सोहन ने दिनांक 09.02.13 को आपसी सहमति से इस भूमि का खाता विभाजन करवाया है जिसका नामान्तरकरण सं. 496 दिनांक 15.02.13 दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है जिसमें ख.नं. 37 की कुल 14 बीघा भूमि में से ख.नं. 505/37 तादादी 4.14 बीघा शिशपाल पुत्र सोहनलाल, ख.नं. 506/37 तादादी 4.13 बीघा हनुमानाराम पुत्र सोहनलाल एवं ख.नं. 507/37 तादादी 4.13 बीघा श्यामलाल पुत्र सोहनलाल के हिस्से में आई है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 ख.नं. 505/37 तादादी 1.1888 हैक्टेयर रोही ग्राम दान्दू में शिशपाल पुत्र सोहनलाल जाति जांगिड़ निवासी दान्दू खातेदार दर्ज है तथा सम्पूर्ण खाता बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा घांघू के रहन दर्ज है। छाया प्रति विक्रय पत्र दिनांक 06.01.2021 के अनुसार खातेदार शिशपाल पुत्र सोहनलाल ने ख.नं. 505/37 तादादी 1.1888 हैक्टेयर रोही मौजा दान्दू की जमीन के अन्दर से दक्षिण तरफ की 0.6835 हैक्टेयर कृषि भूमि केतागण मनजीतकंवर पत्नी रायसिंह व पूजाकुमारी पुत्री किशोरसिंह जाति राजपूत निवासीगण दान्दू को कुल 3,50,000/– रूपयों में विक्रय की है तथा विक्रय की गई भूमि की सम्पूर्ण कीमत प्राप्त कर कब्जा एवं मालिकाना अधिकार पूर्ण रूप से केतागण का बराबर–बराबर करवा दिया जाना अंकित है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस कथनों के समर्थन में पेश न्यायिक दृष्टान्त 2020 DNJ (Rev.) Rajasthan page 272 का भी ससम्मान अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह साबित हो रहा है कि वादगत कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि है इसलिए प्रार्थी का इस भूमि में हक निहित है तथा इस बात से अप्रार्थीगण ने भी कहीं भी इन्कार नहीं किया है। अप्रार्थी सं. 1 को हकत्याग से प्राप्त भूमि को पैतृक माना जाये या नहीं, इस तथ्य का निर्णय दावा के निर्णय से होना है। इसलिए प्रश्नगत भूमि दादालाई पैतृक होने एवं प्रार्थी का इसमें हक हिस्सा होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

अप्रार्थी सं. 1 ने इस भूमि में से हिस्सा विशेष दक्षिण तरफ की 0.6835 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी सं. 2 व 3 को विक्रय की है। वादगत कृषि भूमि में वादी/प्रार्थी अपने पैतृक हिस्से की खातेदारी घोषणा, दुरुस्ती रिकार्ड, खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा एवं यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थी का कहना है कि अप्रार्थी सं. 1 एवं 2 व 3 इस भूमि को आगे अन्य किसी व्यक्ति को अन्तरित कर सकते हैं जिससे प्रार्थी के हक हिस्से पर विपरीत असर पड़ेगा। अप्रार्थीगण ने कहीं भी इस तथ्य से इन्कार नहीं किया है कि इस भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा नहीं है। चूंकि प्रार्थी का दावा न्यायालय में विचाराधीन है तथा अपने हिस्से की खातेदारी घोषणा, दुरुस्ती रिकार्ड, खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा के दावा के लम्बित रहने के दौरान यदि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि को किसी भी तरीके से आगे अनरित करते हैं तो वाद [illegible] की सम्भावना है। इसलिए सुविधा के सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है।

प्रश्नगत प्रकरण में [illegible] कितना हिस्सा बनता है। प्रार्थी का [illegible] है कि वादगत कृषि भूमि में प्रार्थी का [illegible] इस पैतृक कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। दूसरी तरफ अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 [illegible] जवाब के पैरा सं. [illegible] में कुल भूमि में अप्रार्थी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

1 का 1/8 हिस्सा बताया जिसके हिसाब से 1/8 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा प्रार्थी के हिस्से में आना बताया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमि में प्रार्थी का हिस्सा तो है परन्तु कितना हिस्सा है, यह अभी तय नहीं है। प्रार्थी का हिस्सा तो विचाराधीन दावा में तय होना है। अप्रार्थी सं. 1 से 3 यदि दौराने दावा वादगत-कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को आगे हस्तान्तरित करने में सफल हो जाते हैं तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा उसका दावा दायर करने का मकसद ही व्यर्थ हो जायेगा। अतः अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनता है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर 2020 DNJ (Rev.) Rajasthan page 272 में भी माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि "Dispute is whether the plaintiff is entitled to khatedari on ½ share in the land - Plaintiff may deprive from his share if temporary injunction is not granted-Held, No illegality in the order." इसलिए न्यायालय अप्रार्थी सं. 1 से 3 को विचाराधीन दावा के निर्णय तक वादगत कृषि भूमि के वर्तमान मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाना न्यायोचित मानता है।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

आदेश

अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के के पक्ष का होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थी सं. 1 से 3 इस अमर का जारी किया जाता है कि अप्रार्थी सं. 1 से 3 वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 505/37 तादादी 1.1888 हैक्टेयर रोही ग्राम दान्दू तहसील चूरू के वर्तमान मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति न्यायालय में विचाराधीन दावा के निर्णय तक बनाये रखें एवं उक्त कृषि भूमि को किसी भी रूप में किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित न करें, ना ही प्रार्थी के कब्जे में कोई दखलन्दाजी करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 03.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:19 IST
Reason: SelfAttested